न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 107 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. बगताराम पुत्र अचलाराम 2. ईदाराम पुत्र राजूराम 3. अनोपाराम पुत्र राजूराम 4. दली पत्नी राजूराम जाति जाट निवासीयान कुम्पलिया तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर	1. केशाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासीयान कुम्पलिया तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार गिड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 78 / 2022 बअनवान केशाराम बनाम बगताराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 14.06.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री पवन सिंहल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रिणछाराम सियाग रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—13.09.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कुम्पलिया में खसरा संख्या 425 रकबा 34.7 बीघा, मौजा गोदारों की ढाणी में खसरा संख्या 157 रकबा 1.16 बीघा, खसरा संख्या 339 रकबा 51.08 बीघा एवं मौजा जोन्गुओं की ढाणी में खसरा संख्या 419 रकबा 0.12 बीघा, खसरा संख्या 420 रकबा 15.16 बीघा, खसरा संख्या 423 रकबा 0.07 बीघा व खसरा संख्या 424 रकबा 0.03 बीघा पटवार हल्का कुम्पलिया तहसील गिड़ा में कृषि भूमि आई हुई है। उतरदाता संख्या 01 द्वारा अपीलांटस के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत वाद पेश किया गया। जिसमें अपीलांटगण द्वारा इकबाली जबाव काउन्टर क्लैम पेश किया गया, दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार गिड़ा से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार गिड़ा द्वारा स्वयं मौके पर जाकर नियमानुसार 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया गया। रेस्पोडेंटस संख्या 01 द्वारा उजर ऐतराज पेश करने पर मातहत अदालत द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार गिडा द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार 18 से 21 की पालना करते हुए मय नजरी नक्शा टांका, ढाणी, पशु चारा बाड़े, आवागमन के रास्ते सहित विभाजन प्रस्ताव बनाकर न्यायालय में पेश किया जिस पर दोनों पक्षों को मेरिट पर सुनते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.02.2022 को अंतिम डिक्री व निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित किया गया। जिसका राजस्व रेकर्ड में नामान्तकरण व अमल दरामद किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2022 के विरूद्ध एक पुनरावलोकन अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित आदेश 47 नियम 1 एंव धारा 151, 152 सीपीसी के तहत उतरदाता संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। उपरोक्त आवेदन में अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 14.06.2022 को स्वीकार करते हुए अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2022 को विधि विरूद्ध जाकर निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित आदेश 47 नियम 1 एंव धारा 151, 152 सीपीसी को सही ढंग से विवेचन नहीं किया। रिव्यू का दायरा सीमित है इसके लिए जो आधार बताये गये है उनमें से पहला हस्तगत प्रकरण में कोई नये और महत्वपूर्ण साक्ष्य का आवेदन में कोई जिक्र नहीं है दूसरा किसी भूल व गलती के कारण जो अभिलेख के मुख्य पृष्ठ पर प्रकट होता है ऐसी कोई भूल व गलती रिव्यू के आवेदन के अधीन वाले निर्णय में दृष्टिगोचर नहीं होती है। फिर भी बिना किसी कानूनी बिन्दुओं का विवेचन कर पारित किया गया आदेश जो न्यायिक प्रक्रिया की दुरूपयोग की श्रेणी में आता है एवं इसे कायम रखा जाना उचित नहीं है। पुनरावलोकन में पारित आदेश एकतरफा होने के कारण व अपीलांटगण को कानूनी रूप से सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। पुनरावलोकन के आवेदन में किसी प्रकार के कोई नवीन तथ्य एवं साक्ष्य पेश नहीं किया गये। उतरदाता संख्या 01 द्वारा अपीलांटस के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत वाद पेश किया गया। जिसमें अपीलांटगण द्वारा इकबाली जबाव काउन्टर क्लैम पेश किया गया, दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार गिड़ा से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार गिड़ा द्वारा स्वयं मौके पर जाकर नियमानुसार 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया गया। रेस्पोडेंटस संख्या 01 द्वारा उजर ऐतराज पेश करने पर मातहत अदालत द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार गिडा द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार 18 से 21 की पालना करते हुए मय नजरी नक्शा टांका, ढाणी, पशु

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

चारा बाड़े, आवागमन के रास्ते सहित विभाजन प्रस्ताव बनाकर न्यायालय में पेश किया जिस पर दोनों पक्षों को मेरिट पर सुनते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.02.2022 को अंतिम डिक्री व निर्णय पारित किया गया। जिसका राजस्व रेकर्ड में नामान्तकरण व अमल दरामद किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद में पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2022 को रिव्यू आवेदन स्वीकार करके विधि विरूद्ध जाकर निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज फरमाया जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2005(1) Page 545
RRT 2021(1) Page 1007

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि तहसीलदार गिडा ने मातहत अदालत द्वारा मूल वाद में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.09.2020 के विरूद्ध जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया जिस पर उतरदाता द्वारा आपति करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। दूसरी बार भी विभाजन प्रस्ताव पूर्व में भिजवाया बंटवारा को यथावत रखते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मूल वाद में प्राथमिक डिक्री में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा प्रत्येक खसरे में घोषित किया गया है तथा इसी अनुसार प्रतिदावा पेश किया गया जबकि विभाजन प्रस्ताव में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का 1/3 हिस्सा संयुक्त रखते हुए तहसीलदार गिडा द्वारा मातहत अदालत के आदेश की घोर अवहेलना करते हुए अपनी मनमर्जी से तैयार किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। प्राथमिक डिक्री में घोषित हिस्सों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव नहीं आने से अंतिम डिक्री विधि विरूद्ध पारित की गई। जिसमें विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनरावलोकन आवेदन अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित आदेश 47 नियम 1 एंव धारा 151, 152 सीपीसी का पेश किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद समुचित सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम रजस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाये गये बावजूद तामील पर्याप्त सूचना के न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही में अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील मय खर्चा खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनरथ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनरथ न्यायालय के समक्ष पेश हस्तगत पुनरावलोकन आवेदन अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित आदेश 47 नियम 1 एंव धारा 151, 152 सीपीसी में अपीलांटस को सुने बिना एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए मूल वाद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2022 को निरस्त किया गया लेकिन निरस्त करने का कारण आदेश में लेश मात्र भी अंकित नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश पारित किया जाता है तो उसकी भाषा में स्पीकिंग आदेश होनी चाहिए जबकि अपीलाधीन आलोच्य आदेश स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर आर टी 2005(1) पेज 454 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि निर्णय में लिया गया अभिमत गलत भी हो तो भी वह पुनरावलोकन/नजरसानी के लिए आधार नहीं हो सकता है। मातहत अदालत अदालत द्वारा मूल वाद में पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2022 को पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पारित की गई। प्रकरण की वर्तमान परस्थितियों के मद्देनजर रेस्पोडेंटस के योग्य अधिवक्ता ने मातहत अदालत द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2022 में ऐसी कोई जाहिरा त्रुटि "error apparent on the face of record" नहीं बतला पाये है जिससे अपीलाधीन आदेश को यथावत रखते हुए अंतिम डिक्री को निरस्त किया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। आदेश 47 के प्रावधान मुताबिक पुनर्विलोकन का दायरा(परिक्षेत्र) या गुंजाईश बहुत सीमित है। इसके लिए जो आधार बताये है उनमें से

<u>पहला</u> अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हस्तगत आवेदन में कोई नए और महत्वपूर्ण साक्ष्य का कोई जिक्र नहीं है।

<u>दूसरा</u> किसी भूल या गलती के कारण, जो अभिलेख के मुख्य पृष्ठ पर प्रकट होती हो, ऐसी कोई भूल या गलती रिव्यू के आवेदन के अधीन वाले निर्णय में दृष्टिगोचर नहीं होती।

मातहत अदालत के निर्णय के संबंध में जो आपत्तियाँ प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन में उठाई गई है उनके संदर्भ में निर्णय देखा गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2022 उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विभाजन प्रस्ताव पर उतरदाता द्वारा बार–बार आपति जताई और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर की गई आपति पर सुनवाई कर आपति के आवेदन का विधि सम्मत निस्तारण किया गया तथा अंतिम बार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार निर्णय पारित किया गया। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। उतरदाता येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। उतरदाता की मंशा अपीलांटस को अंतिम निर्णय व डिक्री से प्राप्त न्याय से महरूम करना है। अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2022 विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती।

पुनरावलोकन/रिव्यू के लिए <u>अन्य कोई पर्याप्त कारण न्यायालय को दृष्टि में नहीं आया है</u> जो इसका आधार बन सके। लिहाजा वह मंजूर करने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिव्यू आवेदन में पारित अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 78/2022 बअनवान केशाराम बनाम बगताराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 14.06.2022 को अपास्त किया जाता है।

(प्रतिष्ठा बिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 13.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर